न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 86 / 2014 (धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975) **R.C.M.S . no 2014/00039)**

गोपाल पुत्र श्री शिवनारायण माली जाति माली निवासी जटवाडा खुर्द थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर। .....**अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर।
3. थानाप्रभारी मानटउन, जिला सवाईमाधोपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक सवाईमाधोपुर।

.....**रैस्पोडैन्टस**

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्तकलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 5.6.2014 प्रकरण संख्या 21 / 11 अंतर्गत धारा 3 राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975.

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 31.5.2019

यह अपील धारा 3 राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975. के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 5.6.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 14.10.2010 को तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट के विरूद्ध इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डानियंत्रण अधिनियम पेश किया । जिस पर बाद कार्यवाही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.2014 पारित करते हुये अपीलान्ट को गुण्डा घोषित किया जाकर 6 माह की समयावधि के लिये सवाईमाधोपुर जिले से निष्कासित करने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि पुलिस अधीक्षक द्वारा एक इस्तगासा वर्ष 2005 से पूर्व आरपीजीओ के अंतर्गत 6 प्रकरणों में 50 / — रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने को आधार बनाकर अपीलान्ट को जिला सवाईमाधोपुर से बाहर किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। तहत अदालत द्वारा दिनांक 5.6.2014 को जिला बदर करने के आदेश नियम विरूद्ध है। तहत अदालत द्वारा न तो रिकार्ड का अवलोकन किया गया नहीं कोई कानून की विवेचना की गई। बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन आदेश पारित

किया गया है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश में दिनांक 22.11.2005, तथा 18.11. 2005, एवं 28.2.2005 तीना आदेश जो माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0व0 सवाईमाधोपुर का विवरण दिया गया है जबकि उक्त तीनों निर्णय का हवाला न तो पुलिस अधीक्षक के इस्तगासे मे है और न ही किसी गवाह के बयानों में इसका कोई विवरण है। इससे स्पष्ट है कि माननीय तहत न्यायालय द्वारा लिपिकीय त्रुटी हुई है। तहत अदालत द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आदेश में केवल नाम भरकर बिना सामान्य ज्ञान लगाये अपीलधीन आदेश पारित किया है । निर्णय की पहली लाईन में ही जिला पुलिस अधीक्षक मलारना डूंगर द्वारा परिवाद पेश करना लिखा है जबकि मलारनाडूंगर में काई जिला पुलिस अधीक्षक बैठता ही नहीं है। इस्तागसे के साथ एक भी प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई न ही उसे सिद्ध करने के लिये कोई गवाह पेश किये बिना किसी ठोस आधार के अपीलान्ट को दोषी मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 14.10.2010 को इस्तगासा तैयार करना व एक वर्ष से अधिक समय तक अपने पास रखे रखना, छः साल पुराने रिकार्ड को आधार बनाकर कार्यवाही करना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। तहत अदालत ने एक वर्ष में तीन बार दोष सिद्ध होना माना है जबकि ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जबकि विगत पांच वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई अपराध अपीलान्ट के द्वारा नहीं किया गया है फिर आज अपीलान्ट को जिला बदर किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। तहत अदालत के समक्ष तीनों गवाहों ने इस बात को स्वीकार किया है कि पांच बर्ष से पूर्व कोई आपराधिक रिकार्ड अपीलान्ट का नहीं है तथा जिस समय के प्रकरण दर्ज होना बताया है उस समय भी कोई गुण्डा एक्ट के तहत अपीलान्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। तथा पीडब्लू 3 गवाह ने ये भी स्वीकार किया है कि एक्जिविट पी–2, पी–8 दस वर्ष पुराने प्रकरण है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या कोई आरोप नहीं बनता है। बिना तथ्यों के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.2014 में इस्तागासा में अंकित 6 मुकदमों का हवाला दिया है जो 2005 में ही निर्णित किये जा चुके है। जबकि गुण्डा की परिभाषा यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कम से कम 2 बार दोष सिद्धी अथवा 6 माह पूर्व कम से कम 3 मुकदमें दर्ज होने चाहिऐ। यहां 7 साल बाद इस्तगासा पेश किया गया है। जबकि अति0 जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट कमांक 3867 दिनांक 13.12.2016 में अपीलान्ट गोपाल लाल के नेकचलनी/चरित्र के संबध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है इसके साथ संलग्न थानाधिकारी पुलिस थाना मानटाउन सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट कमांक 10682 दिनांक 7. 12.2016 में स्पष्ट अंकित किया है कि बरूवे रिकार्ड थाना हाजा के श्री गोपाललाल माली पुत्र श्योनारायण माली निवासी जटवाडा खुर्द सवाईमधोपुर के विरूद्ध वर्ष 2005 के बाद कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र कमांक समर/ जिविशा / वीआर/(3013) 17595 दिनांक 21.11.2014 में यह प्रमाणित किया गया है कि ..... ''गोपाल लाल माली पुत्र श्री श्यानारायण माली जाति माली की जांच थानाधिकारी मानटाउन से कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक दर्जशुदा पते पर पैतृक

मकान में जन्म से निवास करना पाया गया । उक्त अवधि में उक्त पते पर निवास के दौरान आवेदक का स्थानीय थाने के रिकार्ड के आधार पर सजायाब व मुस्तबा होना नहीं पाया गया है.....'' प्रकरण में इस्तगासा 2011 में पेश किया तथा तहत अदालत ने 2014 में निर्णित किया जिन मुकदमों को आधार बनाया गया उनका निर्णय तत्सयम हो चुका है। छः माह की निरन्तरता भी नहीं है एवं वर्ष 2005 के बाद अपीलान्ट पाक साफ चरित्र से सामाजिक जीवन जी रहा है ऐसी स्थिति में आज तत्कालीन मुकदमों को आधार बनाया जाकर अपीलान्ट को गुण्डा घोषित किया जाकर जिला बदर किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। आज के हालात अपीलान्ट के जिला बदर होने के कतई नहीं है क्यों कि अपीलान्ट अपने घर परिवार बाल–बच्चों का सरपरस्त है और पूर्ण जिम्मेदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है । आधारहीन तथ्यों पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.2014 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 14.10.2010 को तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट के विरूद्ध इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डानियंत्रण अधिनियम पेश किया । जिसमें अवगत कराया कि अपीलान्ट जुआ/सट्टे के कृत्य में लिप्त है उसके खिलाफ दायर/निर्णित मुकदमें निम्न प्रकार हैः–

क्र0 सं0	मुकदमा नं0 मय दिनांक	धारा	नाम थाना	चार्जशीट नं0 व दि0	वर्तमान स्थिति
1	390/01 दि0 10.10.01	13 आरपीजीओ	मानटाउन	254/28.10.01	दि0 27.11.05 को दोषी करार 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
2	420/01 दि015.11.01	13 आरपीजीओ	मानटाउन	256/26.11.01	दि0 18.11.01 को दोषी करार 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
3	397/03 दि0 2.9.03	13 आरपीजीओ	मानटाउन	222/ 11.9.03	दि0 28.2.05 को दोषी करार 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
4	129/04 दि0 17.4.04	13 आरपीजीओ	मानटाउन	76/22.4.04	दि0 13.6.07 को दोषी करार 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
5	159/04 दि0 25.5.05	13 आरपीजीओ	मानटाउन	99/31.5.04	दि0 20.4.05 को दोषी करार 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
6	231/05 दि0 24.6.05	13 आरपीजीओ	मानटाउन	156/27.6.05	दि0 13.7.05 को दोषी करार 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । साक्ष्य हेतु इस्तगासा में अंकित उपस्थित आये गवाहों के बयान दर्ज किये गये। उपर्युक्तानुसार अपीलान्ट के खिलाफ थाना मानटाउन पर 6 मुकदमें दर्ज हुये है। जिनमें अपीलान्ट को 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये दोषी करार दिया गया है। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 91/04 निर्णय दिनांक 22.11.05, प्रकरण संख्या 30/04 निर्णय 18.11.05, प्रकरण संख्या 206/04 निर्णय 28.2.05 में दोषी करार दिया गया है। लोक भावना व आचरण सुधारात्मक भावना की मंशा को ध्यान में रखते हुये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। लेकिन अपीलान्ट निरन्तर जुआ सट्टे का आदी है। इस प्रकार अपीलान्ट राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं अपीलान्ट को उक्त तालिका में अंकित तीन अपराधों में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0व0 सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 22.11.05, 18.11.05 व 28.2.05 के अनुसार तीन बार दोष सिद्ध करार दिया जा चुका है। इसके अलावा बाद नियमानुसार कार्यवाही तहत अदालत ने अपीलान्ट की आपराधिक प्रवृत्ति एवं उससे समाज को बचाने के मध्यनजर अपीलान्ट के खिलाफ 6 माह जिला बदर किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित रहता है। अपीलान्ट जुआ सट्टे का आदतन अपराधी है। अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.2014 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह इस्तगासा तहत अदालत ने दिनांक 10.1.2011 को दर्ज किया गया है जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा 6 प्रकरणों को आधार बनाया गया है। यह भी सही है कि इस्तगासा में अंकित सभी प्रकरणों का सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को 50 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर निर्णय किया जा चुका है और 2005 के उपरान्त एक भी मुकदमा अपीलान्ट के खिलाफ दायर नहीं हुआ है। तहत पत्रावली में संलग्न बयान गवाहों से भी इस बाबत पुष्टि होती है। उनके द्वारा इस्तगासा में वर्णित मुकदमों के आलावा कोई अन्य मुकदमे दर्ज होने के बारे में जानकारी न होना व्यक्ति किया गया। अदालत हाजा के समक्ष राजकीय पक्ष की ओर से भी इस बाबत कोई पुष्टि नहीं की गई है। जबकि अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व वादी पर ही रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2005 के बाद गैर सायल के खिलाफ दायर एवं निर्णित मुकदमों के अलावा अन्य कोई नवीन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और न ही वर्तमान में कोई विचाराधीन है। जिससे कि अपीलान्ट की वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों की निरन्तरता को स्वीकार किया जा सके। यदि वर्तमान में गैर सायल के खिलाफ कोई नवीन प्रकरण दायर/विचाराधीन होता तो न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सकता था। इसके अलावा अति0 जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट क्रमांक 3867 दिनांक 13.12.2016, थानाधिकारी पुलिस थाना मानटाउन सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट क्रमांक 10682 दिनांक 7.12.2016 एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र क्रमांक समर/जिविशा/वीआर/(3013) 17595 दिनांक 21.11.2014 में भी अपीलान्ट के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिससे यह माना जा सके कि वर्तमान में अपीलान्ट का चरित्र संदिग्ध है। इसके अलावा धारा 2 (आ) के अनुसार '' किसी व्यक्ति के संबंध में इस खण्ड में जहॉ किसी ''अम्यस्त'' या ''अम्यासी'' शब्द प्रयुक्त हुआ है तो उससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है जो धारा 3 के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के प्रारम्भ किये जाने से ठीक छः माह की पूर्व की अवधि के दौरान उप खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित, अपराधों कृत्यों को, जैसी भी स्थिति हो, कम से कम तीन अवसरों पर करता हुआ पाया जाये।'' इस प्रकरण में तहत अदालत द्वारा कार्यवाही दिनांक 10.1.2011 को प्रारम्भ की है और इस्तगासा से जाहिर है कि वर्ष 2005 के उपरान्त कोई भी प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ दायर नहीं हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 21.11.2014 एवं थानाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 7.12.2016 इस तथ्य की पुष्टि करती है। उपरोक्त सूची में अंकित दायर/निर्णित मुकदमों के अलावा अन्य कोई प्रकरण गैर सायल के खिलाफ दर्ज होने बाबत तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश न किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान में आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। इस्तगासा से जाहिर है कि अपीलान्ट के खिलाफ 2005 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है और अपीलाधीन निष्कासन आदेश दिनांक 5.6. 2014 करीब 9–10 साल बाद पारित किया गया है प्रकरण काफी पुराने है एवं तत्समय ही प्रकरणों का समक्ष अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई हो सकती है, व्यक्ति की अपनी आदतों में परिवर्तन हो सकता है, और निरोध करने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। ये तथ्य संबधित थानाधिकारी मानटाउन/जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा की गई अपीलान्ट के वर्तमान चाल चलन की रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। **राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम निरोधात्मक है न कि दण्डात्मक ।** ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों में तत्समय ही कार्यवाही को उसके अंजाम तक ले जाया जाना ही इस अधिनियम की न्यायिक मंशा को पूरी करता है अन्यथा एक लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त उसका औचित्य ही नहीं रहता । इस प्रकरण में इस्तगासा में जो प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ अंकित किये गये है वे वर्ष 2001–2005 के है जिनका तत्समय ही सक्षम अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है उनको आधार बनाया जाकर दिनांक 10.1.2011 को इस्तगासा पेश किया गया है। वर्तमान में अप्रार्थी के चालचलन बाबत ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उसके वर्तमान में भी आपराधिक प्रवृत्ति की निरन्तरता को माना जा सके। प्रस्तुत संबधित पुलिस थाने से प्राप्त रिपोर्ट 7.12.2016 एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट 21.11.2014 यह साबित करती है कि अपीलान्ट का वर्तमान में चालचलन खराब नहीं है। ऐसी स्थिति में आज के हालातों को नजर–अंदाज करते हुये करीब 14–15 साल पुराने मुकदमों को आधार बनाया जाकर गैर सायल के विरूद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तहत अदालत का निर्णय दिनांक 5.6.2014 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official